रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17032020-218726
CG-MH-E-17032020-218726

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
No.120] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मार्च, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध)

(संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/08.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (घ) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(घ) "अन्वेषक प्राधिकारी" (इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 11ग (11सी) के तहत अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;"

II. विनियम 5 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) करने का आदेश देने की बोर्ड की शक्ति

5. जहाँ बोर्ड, अध्यक्ष, सदस्य या कार्यपालक निदेशक (जिनका उल्लेख यहाँ आगे "नियुक्ति प्राधिकारी" के रूप में किया गया है) के पास यह विश्वास करने का तर्कसंगत आधार हो कि –

(क) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) इस तरह से किए जा रहे हैं कि वे निवेशकों या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के लिए हानिकारक हैं और उनसे इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) किसी मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) ने या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े किसी व्यक्ति ने अधिनियम या नियमों या विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है,

तो वह, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा, आदेश में उल्लिखित किसी व्यक्ति (जिसका उल्लेख यहाँ आगे "अन्वेषक प्राधिकारी" के रूप में किया गया है) को ऐसे मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति के कामकाज का अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) करने का और उस पर बोर्ड को रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा, उसी प्रकार जैसा अधिनियम की धारा 11ग (11सी) में उल्लेख किया गया है ।"

अजय त्यागी,अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./505/19]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003, सं. का.आ. 816(अ), 17 जुलाई, 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 -
 i. 23 अप्रैल, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2232/2007, द्वारा;
 ii. 11 दिसम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/25/5455, द्वारा;

iii. 6 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/22/22670, द्वारा;

iv. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/56, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th March, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(PROHIBITION OF FRAUDULENT AND UNFAIR TRADE PRACTICES RELATING TO SECURITIES MARKET) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/08.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2020.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, –

 I. In regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (d), the words "officer of the Board not below the rank of Division Chief," shall be substituted by the word "person".

 II. In regulation 5, the words "officer not below the rank of Division Chief" shall be substituted by the word "person".

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./505/19]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 was published in the Gazette of India on July 17, 2003 vide No. S. O. 816(E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 was amended -

 i. on April 23, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Manner of Service of Summons and Notices Issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007 vide No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007;

 ii. on December 11, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/25/5455;

 iii. on September 06, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/22/22670;

 iv. on December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018 /56.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.17 22:10:37 +05'30'